

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

संतरविदास नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, बागपत,
सुल्तानपुर, रायबरेली, गोण्डा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, हाथरस तथा चन्दौली।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ दिनांक: 17 नवम्बर, 2014

विषय :: वर्ष 2014 में अवर्षण के कारण जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान मानसून अवधि में सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 60 प्रतिशत से कम वर्षा होने की स्थिति में संतरविदास नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, बागपत, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोण्डा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, हाथरस एवं चन्दौली को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी रबी की फसल आने तक (दिनांक 31 मार्च, 2015) कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयो (भू-राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली का स्थगन दिनांक 31 मार्च, 2015 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयो की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीडनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी जहाँ आवश्यक एवं अपरिहार्य समझते हैं, शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी:—

(1) राहत कैम्प का संचालन किया जाएगा जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

(2) पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जायेंगे, जिसमें चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी।

4— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में आपदा राहत निधि से प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को निम्नांकित राहत सहायता प्रदान की जायेगी:—

- (1) आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाय।
- (2) अवर्षण के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों की 60 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाय।
- (3) सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुये इससे निपटने के लिये बनाई गई कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराया जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

5- सूखे की स्थिति से निपटने के लिये की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही:-

- (1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन जनपदों में रैपिड रेस्पान्स टीम का गठन किया जाए जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण सतत रूप से किया जाएगा एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- (2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक दिवस रोजगार उपलब्ध कराई जाए।
- (3) पेयजल की आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा रिबोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराया जाए।
- (4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्प को तत्काल समय से ठीक करा लिया जाएगा।
- (5) लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप को स्थापित/लगाने के लक्ष्यों के पूर्ति की कार्यवाही समय से पूर्ण की जाए ताकि कृषकों को इससे तत्काल सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- (6) कृषि विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों को बोवाई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था हेतु नियमानुसार मिनी किट वितरित किया जाए।
- (7) राजकीय नलकूप में सामान्य खराबी शीघ्रातशीघ्र ठीक कर सिंचाई व्यवस्था सामान्य बनायी रखी जाए। इन राजकीय नलकूप से सम्बन्धित यदि कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो इसे विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित अवधि/दिवस के अन्दर बदल दिया जाए। इस हेतु सभी विद्युत भंडार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए।
- (8) सूखाग्रस्त जिलों में सामान्य योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के अंतर्गत कृषकों से बी0 एंड एल फार्म प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्राथमिकता पर नलकूप ऊर्जीकृत किया जाए।
- (9) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 अन्त्योदय परिवारों को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए0पी0एल0 (Above Poverty Line) परिवारों के नियमानुसार अतिरिक्त गेहूँ उपलब्ध कराया जाए।

6- आपसे अनुरोध है कि कृपया सूखा से निपटने के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास, नगर विकास,

सिंचाई, राजस्व, पंचयतीराज, लघु सिंचाई, कृषि, खाद्य एवं रसद एवं जल निगम आदि विभागों से समन्वय करते हुये सूखाग्रस्त जनपदों में सूखा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने हेतु हर समय राहत कार्य किये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री जी।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त सचिव एवं केन्द्रीय राहत आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
10. अनु सचिव (आपदा प्रबन्धन) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।